

दिनांक 16-2-2015 को बनाधिकार अधिनियम 2006 हेतु जिला स्तरीय वैठक की  
कार्यवृत्त

आज दिनांक 16-2-2015 को प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ के अन्तर्गत निम्नलिखित मोटर मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में बनाधिकार अधिनियम 2006 हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की गयी जिसमें निम्नलिखित मार्गों के निर्माण हेतु सहमती की गयी।

क्रम सं०	मार्ग का नाम	प्रभावित बनभूमि ( है० में )	स्वीकृत लम्बाई ( किमी० में )
1	अडकिनी जलतुरी मोटर मार्ग	0.9815	2.50
2	ऐचोली बडावे से माड मरसोली मोटर मार्ग	0.81	2.00
3	बडावे उनडाडा खर्कगैर मोटर मार्ग	0.27	2.00
4	भण्डारी गाँव रजवार बोकटा मोटर मार्ग	3.87	10.00
5	बिण ऐचाली जाँख मासो मोटर मार्ग	2.97	5.00
6	चण्डाक छैडा दिगतोली मोटर मार्ग के किमी 6 से तल्ली सिम	1.323	3.00
7	चण्डाक से मैइला तडीगाँव मोटर मार्ग	1.935	4.00
8	जाँख पुरान आवलाधाट मोटर मार्ग	11.43	15.00+2.00
9	कनालीछीना ल्वाठी मोटर मार्ग	1.62	3.00
10	काटेगाँव से साईखोला सेरीकाण्डा विनायक मैलती मोटर मार्ग	4.83	10.00
11	नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग	0.819	4.00
12	रोडी पाली रसियापाटा मोडी मोटर मार्ग	2.295	5.00
13	टनकपुर तवाधाट किमी० 122 से पंचेश्वर मोटर मार्ग	14.67	18.00
14	सातसिलिंग थल से रामकोट पत्थरकोट मोटर मार्ग	0.63	3.00
15	सिलौनी चिमतोली भैसदुगा मझेडा मोटर मार्ग	2.61	6.00
16	वडडा कवीतड से आडूखोला मोटर मार्ग	0.945	2.00

समाज कल्याण अधिकारी  
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता  
प्रा० ख० ल००नि०वि०  
पिथौरागढ़

प्रभ्रभीमा बनाधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभ्रभी  
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़  
जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से मैईला तडीगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण।

### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण -पत्र

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से मैईला तडीगांव मोटर मार्ग (4.00कि0मी0) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 3.60 है0 भूमि प्रस्तावित है। जिसमें राज्य सरकार की भूमि 1.935 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9 / 98-एफ0सी0 दिनांक-05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण नहर निर्माण पारेसण लाइन ओ0एफ0सी0 केविल पाइप लाइन विछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहा है।

Handwritten signatures and official seals of various government officials and departments involved in the project, including:

- तहसील अधिकारी चण्डाक पिथौरागढ़
- राजस्व उप निपटाक वर्तमान
- जिला अधिकारी पिथौरागढ़
- जिला अधिकारी (उत्तराखण्ड)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr.Susheel Kumar I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated ..../..../.. at time ..../..../.. at **Pithorgarh**, in which application claiming rights in 11.430 hect. area measuring 1.935 hect for the construction of **Chandak – to Maila-Tarigaon motor road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bin (Pithoragarh)** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:Pithoragarh  
Dated:.....  
03-03-2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee

जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

**प्रारूप-30**

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा  
निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

**FORM-1**

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

No---

Office of the District Collector Pithoragarh

Dated- 3/3/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.935 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Work Department for in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Maila village(s) in (Name Pithoragarh) tehsils.

It is further certified that:

- (d) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.935 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

  
Signature  
(Sri Susheel Kumar)

(Full name and official seal of the District Collector)

  
जिला प्रशासन  
पिथौरागढ़

## प्रारूप—30.2

**परियोजना विवरण :— जनपद पिथौरागढ में चण्डाक से मैईला तडीगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ

उपखण्ड पिथौरागढ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में चण्डाक से मैईला तडीगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण, (कुल 1.935 हेठो राज्य वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ) की दिनांक ५/१/२०१५ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1—	श्री अनुराग आर्य	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2—	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3—	श्री दीपक आर्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4—	श्री <i>Pym</i> (जीपति अनंग लुन्ही)	बीडीओसी० क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वीकृत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में मसपाटी धिघारखोला मोटर मार्ग का नव निर्माण, परियोजना हेतु 0.989 हेठो वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्रावेद्यन को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में चण्डाक से मैईला तडीगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.935 हेठो वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

*Pym*  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील—पिथौरागढ (बिण),  
जनपद—पिथौरागढ

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील— पिथौरागढ (बिण),  
जनपद— पिथौरागढ

### प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से मैइला तडीगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र  
ग्राम पंचायत का नाम मैइला  
तहसील पिथौरागढ़(बिण), जिला पिथौरागढ़

#### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से मैइला तडीगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण, (0.00 हेठो आरक्षित वन भूमि, हेठो सिविल एवं सोयम वन भूमि हेठो वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.935 हेठो वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 4/1/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मैइला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेठो—  
ग्राम सचिव  
मुहर सहित दिनांक 4/1/2015  
ग्राम पंचायत अधिकारी  
क्षेत्र ...दिल्ली (झेल्ली)  
विठ्ठल खेठ विठ्ठल  
*[Signature]*



हेठो—  
सरपंच/  
*[Signature]*



हेठो—  
ग्राम पंचायत  
मुहर सहित दिनांक  
प्रधान  
विठ्ठल विठ्ठल  
*[Signature]*

प्रारूप-30.4

दिनांक 4/11/2013 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मैईला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	रतन सिंह (उम 65)	रतन सिंह
(2)	पिलीप सिंह (उम 67)	पिलीप सिंह
(3)	बिंदीश सिंह (उम 55)	बिंदीश सिंह
(4)	नरायण सिंह (उम 45)	नरायण सिंह
(5)	बन्दन सिंह (उम 35)	बन्दन सिंह
(6)	पुताप सिंह (उम 62)	पुताप सिंह
(7)	नरी चंद (उम 57)	नरी चंद
(8)	भगत सिंह (उम 65)	भगत सिंह
(9)	अच्छा डॉ पाठड़ (उम 65)	अच्छा डॉ पाठड़
(10)	जगदीश चंद्र पाठड़ (उम 66)	जगदीश चंद्र पाठड़
(11)	दीपेश्वर सिंह (उम 71)	दीपेश्वर सिंह
(12)	आन सिंह (उम 38)	आन सिंह
(13)	गोपाल सिंह (उम 72)	गोपाल सिंह
(14)	लोल सिंह (उम 82)	लोल सिंह
(15)	शुभा सिंह (उम 58)	शुभा सिंह
(16)	हरी दत्त (उम 60)	हरी दत्त
(17)	चंचल सिंह (उम 52)	चंचल सिंह
(18)	भगवान राज (उम 68)	भगवान राज
(19)	परमानन्द पाठड़ (उम 71)	परमानन्द पाठड़
(20)	महेन्द्र सिंह (उम 38)	महेन्द्र सिंह
(21)	माईंदी सिंह (उम 52)	माईंदी सिंह
(22)	पुष्कर सिंह (उम 54)	पुष्कर सिंह
(23)	नवीन सिंह (वाइ भाट्टर)	नवीन सिंह
(24)	कुशाक दत्त (वाइ भाट्टर)	कुशाक दत्त

हो/-  
ग्राम प्रधान  
सुनीता देवी